प्रेस विज्ञप्ति बिजनौर पुलिस दिनांकः– 19.06.2021

प्रेस नोट (थाना को0शहर)

थाना को0शहर पुलिस द्वारा पुलिस कार्यवाही में डबल मर्डर के 50–50 हजार के पुरस्कार घोषित 02 तथा घटना में संलिप्त अन्य 02 (कुल 04) अभि0गण घटना में प्रयुक्त मोबाईल, मोटर साइकिल व आलाकत्ल लाईसेंसी बन्दूक सहित गिरफ्तार।

दिनॉक 09.05.2021 को महाराज सिंह पुत्र नत्थे सिंह निवासी ग्राम धौकलपुर थाना कोतवाली शहर बिजनौर द्वारा थाना को0शहर पर तहरीर दी कि वह अपने पुत्र धीर सिंह व पौत्र अंकुर पुत्र जगवीर सिंह तथा दोनों पुत्रवधू रीता, बबीता जंगल से घर आ रहे थे तभी संजीव निवासी सुन्दरपुर के खेत के पास सफेद रंग की आल्टो कार जिसको देवेन्द्र निवासी कम्भोर चला रहा था जिसमें कृष्णा पुत्र अमन हमारे ही गॉव का, ललित व अमित पुत्रगण हेमेन्द्र निवासी रावणपुर तथा 02 अज्ञात व्यक्ति उतरे और **पुरानी रंजिश के चलते तमन्चो व बन्दूक से धीरसिंह व अंकुर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी।** इस घटना में अनुज व नितिन शामिल है। तहरीर के आधार पर थाना को0शहर बिजनौर पर **मु0अ0सं0 276/21 धारा 147/148/149/302/120बी/34 भादवि0** बनाम 1–**देवेन्द्र,** 2–**कृष्णा,** 3–**ललित,** 4–**अमित,** 5–**अनुज,** 6–**नितिन** उपरोक्त व 02 व्यक्ति नाम पता **अज्ञात** पंजीकृत किया गया।

घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा स्वाट व सर्विलांस/को0शहर पुलिस को घटना में संलिप्त अभि0गण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियुक्त 1–विवेक पुत्र नीरज निवासी ग्राम किठौली थाना जॉनी जनपद मेरठ, 2–आकाश राठी उर्फ राजीव उर्फ टिंकल पुत्र बिजेन्द्र उर्फ बिट्टू निवासी ग्राम धीराहेड़ी थाना भोपा जनपद मु0नगर 3–सुमित पुत्र स्व0 राकेश निवासी ग्राम राना नंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 4–कृष्णा पुत्र स्व अमन निवासी ग्राम धौकलपुर थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है।

शेष अभि0गण अनुज पुत्र स्व अमन सिंह व उसकी पत्नी लवली की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। **अभि0गण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद महोदय द्वारा अभि0गण अनुज तथा लवली की पुरस्कार राशि बढ़ाकर 50 हजार रूपये की गयी।**

आज दिनॉक 19.06.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना को0शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभि0गण 1–अनुज 2–लवली उपरोक्त को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो उनके द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिये पुलिस पार्टी द्वारा अपना बचाव करते हुए घेराबन्दी कर अभि0गण अनुज व लवली उपरोक्त को मण्डावर चौराहा से घटना मे प्रयुक्त मोबाईल फोन, लाईसेंसी बन्दूक व मोटर साईकिल नम्बर यूपी 20 एक्स 3988 सहित गिरफ्तार किया

गया। इस सम्बन्ध मे थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 388/21 धारा 307 भादवि बनाम अनुज व लवली उपरोक्त पंजीकृत किया गया। घटना में प्रयुक्त लाईसेंसी बन्दूक के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 389/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम अनुज पंजीकृत किया गया है।

डबल मर्डर की घटना की संलिप्तता में प्रकाश में आये 02 अन्य अभियुक्तगण हर्ष कौशिक उर्फ हनी पुत्र बीरेन्द्र कुमार व टीकम सिंह उर्फ भोले पुत्र भूदेव निवासीगण ग्राम धौकलपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को भी गिरफ्तार किया गया। **समस्त अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगस्टर/एनएसए की कार्यवाही की जायेगी।** अभियोग में नितिन फौजी पुत्र अमन सिंह जो एसएसबी पटना में नियुक्त है की गिरफ्तारी अभी शेष है। जिसकी गिरफ्तारी सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभि0 का नाम व पताः–</u>

1–अनुज पुत्र स्व अमन सिंह निवासी फरीदपुर संसारू उर्फ धोकलपुर थाना को0शहर, बिजनौर।

2–लवली पत्नी अनुज निवासी फरीदपुर संसारू उर्फ धोकलपुर थाना को0शहर, बिजनौर।

3–टीकम उर्फ भोला भूदेव निवासी फरीदपुर संसारू उर्फ धोकलपुर थाना को0शहर, बिजनौर।

4–हर्ष उर्फ हनी पुत्र बीरेन्द्र कुमार निवासी फरीदपुर संसारू उर्फ धोकलपुर थाना को0शहर, बिजनौर।

<u>बरामदगीः–</u>

1–घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन

2–आलाकत्ल लाईसेंसी बन्दूक

3–मोटर साईकिल नम्बर यूपी 20 एक्स 3988

<u>पूछताछ का विवरण–</u>

पूछताछ में अभियुक्ता लवली द्वारा बताया कि मेरी शादी अनुज पुत्र अमन सिंह निवासी ग्राम फरीदपुर संसारू उर्फ धौकलपुर के साथ हुई हैं। मेरे पति अनुज का प्रेम प्रसंग धीर सिंह की लडकी से चल रहा था और यह दोनों घर से भाग गये थे, लेकिन मेरे पति के परिवार वालों ने इन्हें ढूंढ लिया और धीर सिंह की लडकी वापिस कर दी। उसी रंजिश के चलते 15 अगस्त वर्ष 2015 को जगवीर सिंह, धीर सिंह व जगवीर का लडका अंकुर ने स्कूल मे गोली मारकर उनके पिता की हत्या कर दी। इस घटना में हेमेन्द्र निवासी ग्राम रावणपुर भी घायल हो गये थे। मेरे पति उनके पिता की हत्या उनके प्रेम प्रसंग की वजह से होने से परेशान थे। मेरे पिता व चाचा की भी हत्या हुई है, तो मैने अपने पति से कहा कि तुम तीन भाईयों के होते हुए भी अपने पिता जी की हत्या का बदला नहीं ले सकते हो तो ऐसी जिन्दगी से क्या फायदा है आप अपने पापा जी की मौत का बदला लो इसमें मेरा भाई सुमित भी आपका साथ देगा। इसके बाद आप लोगों को मेरे पापा व चाचा की हत्या का बदला भी लेना है।

यह बात इन तीनों भाईयों की समझ में आ गयी। मेरे जेठ नितिन फौजी छुटटी पर घर आये हुए थे मेरे पति व उनके तीनों भाईयों व मैने घर पर बैठकर योजना बनाई कि इन लोगों से बदला कैसे लेना है योजना बनाकर व हम लोगो को समझाकर हत्या से करीब चार पांच दिन पहले मेरे जेठ अपनी नौकरी पर वापस चले गये। मेरे पति अनुज की दोस्ती विवेक उर्फ विक्कू पुत्र नीरज निवासी ग्राम किठौली थाना जानी जिला मेरठ तथा आकाश उर्फ राजीव उर्फ टिवंकल पत्र बिजेन्द्र उर्फ बिटटू निवासी ग्राम धीराहेडी थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर से थी। मेरे पति ने अपने दोस्तों को इसके लिये तैयार कर लिया तथा मैने अपने भाई सुमित को कहा तो वह भी तैयार हो गया। मेरे पति के दो दोस्त हर्ष कौशिक उर्फ हनी पुत्र वीरेन्द्र कुमार तथा टीकम सिंह उर्फ भोले पुत्र भूदेव धीर सिंह के घर के सामने ही रहते हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानती हं। यह दोनों भी हमारी योजना में शामिल हो गये और धीर सिंह व उसके परिवार की पूरी जानकारी मेरे पति को देने लगे। दिनांक 08.05.2021 को मेरे पति अनुज पूरे दिन भर अपने भाई कृष्णा, मेरे भाई सुमित व दोस्त

विवेक उर्फ विक्कू तथा आकाश उर्फ राजीव उर्फ टिवंकल के साथ मिलकर धीर सिंह व उसके परिवार के घर से खेत के लिये निकलने की तलाश में लगे रहे लेकिन उस दिन हम कई घंटों तक इंतजार करने बाद भी यह लोग खेत पर नहीं आये। दिनांक 09.05.2021 को समय करीब 08.00 बजे मेरे पति के दोस्त हर्ष कौशिक उर्फ हनी ने फोन से बताया कि यह लोग घर से खेत के लिये निकल गये हैं तो यह सभी लोग सफेद रंग की आल्टो कार (जो इसी काम के लिये पुरानी खरीदी थी) से धीर सिंह के खेत की ओर चले गये और रास्ते में धीर सिंह व अंकुर की गोलियां मारकर हत्या कर दी और बिजनौर की ओर भाग गये।

पूछताछ में अनुज उपरोक्त ने बताया कि उक्त घटना कारित करने के बाद दिनांक 20.05.2021 को मैं व मेरा भाई कृष्णा, साला सुमित, दोस्त आकाश उर्फ राजीव उर्फ टिवंकल एवं विवेक उर्फ विक्कू इस केस के बारे में बात करने तथा यहां से बाहर जाने के लिये बिजनौर में चक्कर चौराहे पर पराग डेरी के पास अपनी उपरोक्त मारूति आल्टो कार न0 यू0पी0.14 एसी 8190 से आकर इकटठा हुए थे, तभी वहां पुलिस आ गयी और हमने खुद को घिरता देख मैने कहा था कि आकाश और विवेक गोली चलाओ पुलिस ने हमे घेर लिया है नही तो आज हम पकडे जायेंगे यह कहते ही हम सभी ने एक राय होकर पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर फायर किये, लेकिन पुलिस ने हमारे तीन साथियों जिनमे मेरा भाई कृष्णा उर्फ छोट, मेरा साला सुमित तथा मेरा दोस्त आकाश राठी उर्फ राजीव उर्फ टिवंकल को हत्या करने में प्रयोग हुए हथियारों सहित पकड लिया था तथा मैं एवं विवेक उर्फ विक्कू मौके से भाग गये थे। आज आपने मुझे मेरी पत्नी लवली तथा धीर सिंह व अंकुर की हत्या में प्रयुक्त हथियार सहित पकड लिया है। साहब जो सच बात थी मैने आपको बता दी है। हमने जो भी किया वह सब सोच समझकर किया है इसका मुझे व मेरी पत्नी को कोई पछतावा नहीं है

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त अनुज उपरोक्त–</u>

1–मु0अ0सं0 583/2015 धारा 323/307/504/506 भादवि थाना को0शहर, बिजनौर

2–मु0अ0सं0 29/2017 धारा 307/504/506 भादवि थाना को0शहर, बिजनौर

3– मु0अ0सं0 998/2018 धारा 307/323भादवि थाना को0शहर, बिजनौर

4–मु0अ0स0–276/2021 धारा 147/148/149/302/120वी/34 भादवि थाना को0शहर बिजनौर।

5–मु0अ0सं0 293/2015 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना को0शहर, बिजनौर

6–मु0अ0सं0 388/21 धारा 307 भादवि0 थाना को0शहर, बिजनौर।

7–मु0अ0सं0 389/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना को0शहर, बिजनौर।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्ता लवली उपरोक्त–</u>

1–मु0अ0स0–276/2021 धारा 147/148/149/302/120वी/34 भादवि थाना कोतवाली शहर बिजनौर।

2–मु0अ0सं0 388/21 धारा 307 भादवि0 थाना को0शहर बिजनौर।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त हर्ष कौशिक उर्फ हनी उपरोक्त–</u>

1–मु0अ0स0–276/2021 धारा 147/148/149/302/120वी/34 भादवि थाना को0शहर बिजनौर।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त टीकम सिंह उर्फ भोले उपरोक्त–</u>

1–मु0अ0स0–276/2021 धारा 147/148/149/302/120वी/34 भादवि थाना को0शहर बिजनौर।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण–</u>

1–श्री राधेश्याम प्रभारी निरीक्षक, 2–उ0नि0 जर्रार हुसैन, 3–उ0नि0 दीपक कुमार, 4– उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह 5–म0उ0नि0 आशा तोमर 6–म0कां0 420 कंचन 7–का0 169 अरविन्द, 8–कां0 538 उपेन्द्र, 9–का0 1016 अमित 10–रिक्रूट कां0 2189 सागर 11–कां0 2166 अभिषेक तिवारी 12– कां0 चालक यशवीर सिंह थाना कोतवाली शहर, बिजनौर।

थाना मंडावलीः- थाना मंडावली पुलिस द्वारा थाना मंडावली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 108/21 धारा 307,34,504 आईपीसी तथा 109/21 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 के वांछित अभियुक्त अतीक पुत्र शफीक निवासी ग्राम नारायणपुर रतन थाना मंडावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना शिवाला कलाः- थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा मु0अ0स0 54/21धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम मे वांछित मालादेवी उर्फ लालो पत्नी तेजपाल निवासी रतनगढ़ थाना शिवाला कला को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना नूरपुरः- थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 188/2021 धारा 304/323/504 आईपीसी से संबंधित अभियुक्त आरिफ पुत्र मसी उल्लाह व सोहेल उर्फ गुल्लू पुत्र रजा निवासीगण रहटा बिल्लोच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को दौलतपुर नहर चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।